



Chicago Commission  
on Human Relations

## सार्वजनिक आवासीय भेदभाव इसे अनदेखा न करें- इसकी सूचना दें!

सार्वजनिक आवासों में भेदभाव करना गैरकानूनी है। इसमें जनता के लिए खुले स्टोर, रेस्तरां, थिएटर, होटल, मनोरंजन के स्थान और अन्य व्यवसाय और सेवाएं शामिल हैं। इन संरक्षित वर्गों के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है:

नस्ल	लैंगिक झुकाव
रंग	लिंग पहचान
वंश	वैवाहिक
राष्ट्रीय मूल	स्थिति
धर्म	अभिभावकीय स्थिति
विकलांगता	सैन्य स्थिति
आयु (40 से अधिक)	आय का स्रोत
लिंग	

सार्वजनिक आवास में होनेवाले भेदभाव के उदाहरणों में शामिल हैं:

- ऐसे व्यवसाय का संचालन करना जो आम लोगों के लिए खुला है मगर वो दिव्यांग लोगों की पहुँच से बाहर है।
- प्रवेश नीतियों में नस्ल या धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले ड्रेस कोड का उपयोग करना
- विषमलैंगिक जोड़ों की तरह सेवाओं और सुख सुविधाओं का आनंद लेने से समान लिंग वाले जोड़ों को रोकना
- समान लिंग या उसकी/उसके लिंग पहचान के आधार पर उसके जेंडर के व्यक्तियों के लिए खुले रेस्तरां तक ग्राहक की पहुँच को अस्वीकार करना

यदि आपको लगता है कि आप सार्वजनिक आवासीय भेदभाव के शिकार हुए हैं, तो इसे अनदेखा न करें, इस बारे में CCHR को सूचित करें।



हमें (312) 744-4111 पर संपर्क करें  
ईमेल: [cchr@cityofchicago.org](mailto:cchr@cityofchicago.org)

वेबसाइट: [Chicago.gov/cchr](http://Chicago.gov/cchr)  
Facebook: [@ChicagoCHR](https://www.facebook.com/ChicagoCHR)  
Twitter: [@ChiCCHR](https://twitter.com/ChiCCHR)



Lori E. Lightfoot  
शिकागो शहर के महापौर/मेयर